उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या-215/VI-I/2008-7(9)2007
देहरादून: दिनांक 11 जून, 2008

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रचार-प्रसार सम्बन्धी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार की संस्तुति के साथ भारत सरकार को अग्रसारण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले परियोजना प्रस्तावों के परीक्षण तथा अन्य संगत कार्यवाही के निर्वहन हेतु आगामी प्रस्तरों में दिये गये विवरणानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

2. गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान/वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार किये जाने वाले प्रस्ताव सम्बन्धित जनपद (जिसमें संस्था स्थित है) के जिलाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा संस्था के अस्तित्व, सामान्य ख्याति तथा संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना की आवश्यकता/उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में पुष्टिकारक टिप्पणी देते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ परियोजना प्रस्ताव निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किये जायेंगे। निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा परियोजना प्रस्तावों का सरसरी तौर पर परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे।

3. शासन स्तर पर परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण/स्क्रीनिंग कर प्रस्तावों की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी निम्नवत होगी:-

(1)	अपर सचिव/निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	अध्यक्ष
(2)	उप सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(3)	सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
(4)	वित्त अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य

नोट:- स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों के सन्दर्भ में पूर्व तैयारी तथा कमेटी की बैठकों के कार्यवृत्त इत्यादि तैयार किये जाने में अनुभाग अधिकारी, संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा आवश्यक समन्वय एवं कार्यवाही की जायेगी।

4. स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्न बिन्दुओं/आधारों के आलोक में परियोजना प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्तावों की उपयोगिता तथा स्वीकार्यता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की जायेंगी:-

(1) भारत सरकार की जिस योजना विशेष के संबंध में प्रस्ताव भेजा जाना प्रस्तावित है, उसके दिशा-निर्देशों एवं मानकों के आधार पर प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है, अथवा नहीं ?

..2

(2) संस्था के पंजीकरण/वैधता की स्थिति क्या है ? तथा जिस कार्य हेतु परियोजना प्रस्ताव बनाया गया है, क्या उस कार्यक्षेत्र में संस्था को कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है ?

(3) क्या संस्था द्वारा दिया गया प्रस्ताव, संस्था के मेमोरेन्डम आफ एसोसिऐशन में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप है ?

(4) क्या संस्था के विनियम/बायलॉज पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं ?

(5) संस्था में लेखों के रख-रखाव व आडिट की व्यवस्था, बैलेन्स शीट इत्यादि उचित प्रकार से संचालित है ?

(6) संस्था द्वारा जितनी धनराशि की परियोजना बनायी गयी है, क्या उसके द्वारा पूर्व में भी समान अथवा लगभग समान आकार की परियोजनाएं सफलतापूर्वक सम्पादित की गयी है।

(7) क्या प्रस्ताव में दर्शित व्यय की मदें तर्कसंगत है ? तथा क्या अधिष्ठान व विकास व्यय की फांट स्वीकार्य है ?

(8) संस्था के पास उपलब्ध मानवीय व अन्य संसाधन क्या हैं तथा क्या उक्त संसाधन परियोजना का कार्य सम्पादित करने हेतु पर्याप्त है ?

(9) परियोजना प्रस्ताव में कोई ऐसा कार्य/बिन्दु तो नहीं है जो राज्य अथवा देश-हित में न हो ?

(10) क्या परियोजना हेतु चयनित क्षेत्र/स्थल परियोजना के संचालन हेतु उपयुक्त/व्यवहारिक है ?

(11) परियोजना के निष्पादन से सम्बन्धित क्षेत्र की जनता को क्या सांस्कृतिक/आर्थिक/सामाजिक/शैक्षिक लाभ सम्भावित है ?

राकेश शर्मा
सचिव

संख्या एंव दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को वेवसाइट पर प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
अनुसचिव